भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

842937

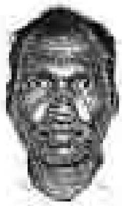

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	–	रू0 10,00,000/–
बाजारू मूल्य	–	रू0 4,66,625/–
अदा किये गये जनरल स्टैम्प	–	रू0 70,000/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – करौना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

842938

4. सम्पत्ति का विवरण – भूमि खसरा संख्या 266 रकबा 0.405 हे0. का 1/2 भाग अर्थात 0.2025 हे0 स्थित ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.2025 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – नहीं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 049522

10. बोरिंग / कुआ अन्य – कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 266</u>

उत्तर : खसरा नं0–255, 253

दक्षिण : खसरा नं0–268, 267

पूरब : खसरा नं0–264

पश्चिम: खसरा नं0– नहर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 049520

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
रमेश कुमार पुत्र मिहीलाल निवासी –ग्राम बरौना, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	:	जयलेन्द्र पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

यह विक्रय विलेख रमेश कुमार पुत्र मिहीलाल निवासी –ग्राम बरौना, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता

रमेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 049521

क्रेता कहा गया है (जिसके अन्तर्गत विक्रेता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)

एवम्

जयलेन्द्र पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली जिन्हें आगे केता कहा गया है (जिसके अन्तर्गत क्रेता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 266 रकबा 0.405 हे0, का 1/2 भाग अर्थात 0.2025 हे0 स्थित ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर,

रमेश कुमार

जयलेन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 049529

तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00247 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26 APR 2011

आदर्श कोषागार लखनऊ

L K O T R Y

हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग, ग्राम समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ
लखनऊ कोषागार से जारी
2 6 APR 2011
स. को. अ / कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
L K O T R Y

इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को

कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नही है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रुप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई माग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करते है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति

रमेश कुमार

ओ० पी० आर्येन्द्र

न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 **22,50,000/-** प्रति हेक्टेअर हिसाब से विक्रीत भूमि **0.2025** हेक्टेअर की मालियत रू0 **4,55,625/-** होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू0 **70,000/-** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

रमेश कुमार

डॉ. अ जगदेन्द्र

विक्रय पत्र

1,000,000.00	455,625.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

1 श्री रमेश कुमार
पुत्र श्री महीलाल
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी ग्राम बरौना पर.बिजनौर,लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/5/2011 समय 5.35PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी.के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
2/5/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री रमेश कुमार
पुत्र श्री महीलाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम बरौना पर.बिजनौर,लखनऊ

क्रेता
श्री उपलेन्द्र
पुत्र श्री मातुलाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम पूरे निधि सिलौली रायबरेली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री पंकज झा
पुत्र श्री राम नरेश झा
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग,लखनऊ
व श्री दीपक कुमार
पुत्र श्री बाबू लाल
पेशा व्यापार
निवासी चौधरी खेड़ा लखनऊ
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
2/5/2011

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विकेता को रू0 **10,00,000/-** द्वारा चेक संख्या- 295677 दिनांकित 02.05.2011 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विकेता को कुल विकय मूल्य **रू0 10,00,000/-** (**रू0 दस लाख मात्र**) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विकेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊः

दिनांक : 02.05.2011

गवाह :-

1. [handwritten signature and address]

2. [handwritten signature and address]

[signature]

विकेता

केता

टाईपकर्ता

(लवलेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसौविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

विक्रेता

Registration No. 6223 Year 2011 Book No. 1

0101 रमेश कुमार

[illegible]

[illegible]

कृषि

खसरा → 268

विक्रेता → रमेश कुमार

क्रेता → जगमेन्द्र

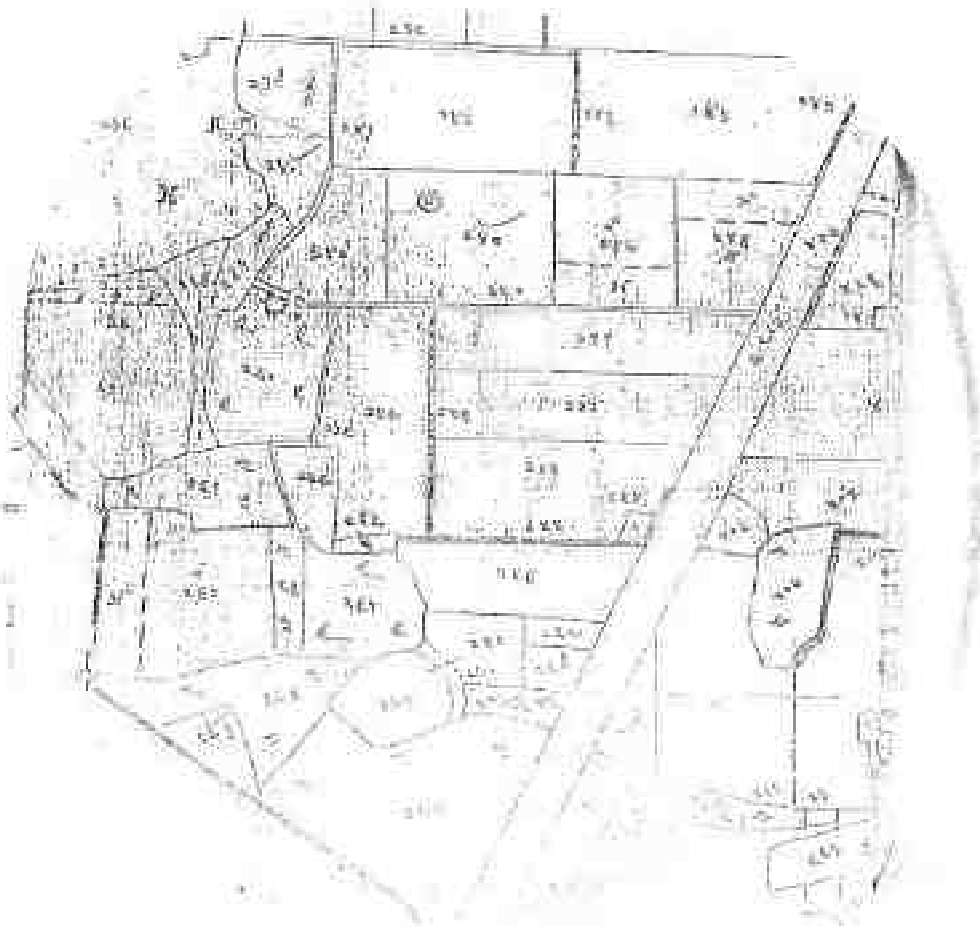

नि० अं० जगमेन्द्र

रमेश कुमार

विक्रेता

रमेश कुमार

क्रेता

नि० अं० जगमेन्द्र

क्रेता

Registration No.: 6221 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 [illegible]
1 बाबूलाल
ग्राम [illegible]
कृषि

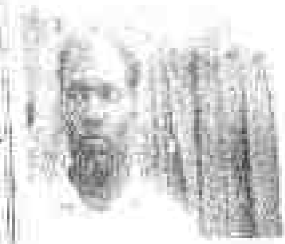

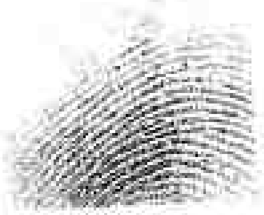

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पताः– रमेश कुमार पुत्र मिहीलाल निवासी –ग्राम बरौना, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह–

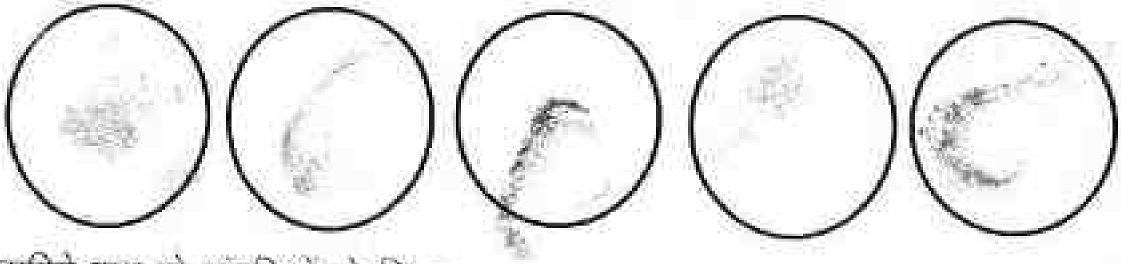

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

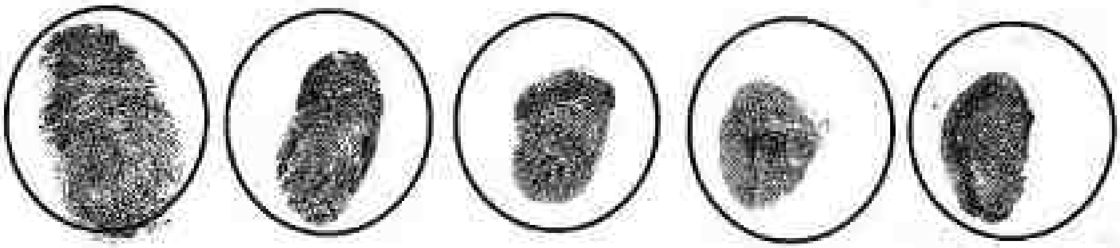

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पताः– जयलेन्द्र पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

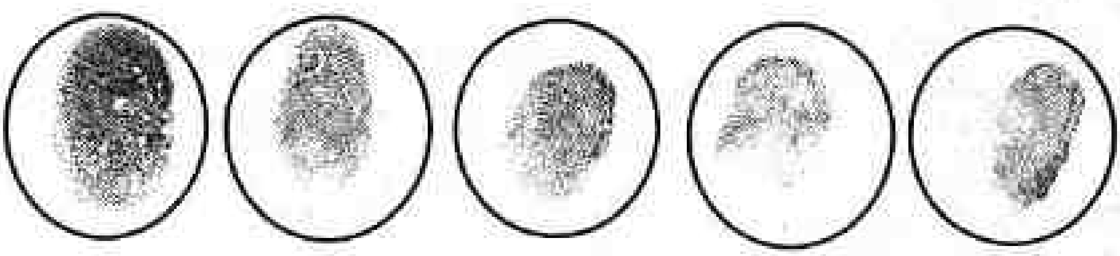

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक **02/05/2011** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **12711**

पृष्ठ सं. **173** से **196** पर क्रमांक **6221**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

2/5/2011